न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) – जयपुर

1. पीठासीन अधिकारी : श्री अशोक कुमार शर्मा
2. प्रकरण संख्या : 159/2020
3. उनवान : सरकार जरिये भागचन्द बैरवा, प्रवर्तन अधिकारी

बनाम

1. मैसर्स शर्मा गैस सर्विस, रोड नं. 17, श्रीराम कालोनी, वीकेआईए जयपुर।
2. श्री टीकूराम शर्मा पुत्र श्री जौहरी लाल निवासी मलिकपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर हाल निवासी प्लाट नं. 166/2, रोड नं. 17, श्रीराम कालोनी, वीकेआई जयपुर।
3. मैसर्स भगोरिया गैस, सी–36, गोल्डन सनराईज, प्लाट नं. 201, नियर राजधानी हॉस्पिटल, लाजपत मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर।
4. मैसर्स कोनफिडेन्स गो गैस लिमिटेड कार्पोरेट आफिस 404, सत्यम अपार्टमेन्टस, 8 वर्धा रोड धनतोली नागपुर।

4. निर्णय दिनांक : 28.12.2022
5. अधिवक्तागणों का नाम : अ) पैरोकार रसद प्रार्थी की ओर से।
   ब) अधिवक्ता श्री चिमनाराम पूनिया अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से।
   स) अधिवक्ता श्री कैलाश दत्त शर्मा अप्रार्थी संख्या 3 की ओर से।
   द) अधिवक्ता श्री मनोज कुमार जांगिड अप्रार्थी संख्या 4 की ओर से।

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

प्रार्थी प्रवर्तन अधिकारी, जयपुर श्री भागचन्द बैरवा द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 पेश कर निवेदन किया है कि दिनांक 23.12.2009 को गैस सिलेण्डरों का अवैध संग्रहण एवं विक्रय तथा छोटे सिलेण्डरों में अवैध रुप से घरेलू गैस भरकर बेचने की शिकायत की जांच हेतु मैसर्स शर्मा गैस सर्विस पर पंहुचे। दुकान एवं उसके पीछे बने मकान में जांच कार्यवाही के दौरान अवैध रुप से रखे हुये 26 गो गैस के 4 किग्रा. क्षमता के (3 भरे मय 10.500 किग्रा. गैस व 23 खाली) सिलेण्डर, 5 नोन आईएसआई मार्का के (4 किग्रा. क्षमता के 4 व 1 किग्रा. क्षमता का 1) खाली सिलेण्डर, बीपीसी का 1 खाली सिलेण्डर 19 किग्रा. क्षमता, 2 धातु की बांसुरी जब्त किये गये। अप्रार्थीगण द्वारा प्रकरण के सन्दर्भ में कोई सन्तोषप्रद जवाब एवं वैध दस्तावेज पेश नहीं किये गये। ऐसी स्थिति मे फर्द मौका, फर्द अभिग्रहण, सुपुर्दगीनामा आदि की प्रति पेश कर निवेदन किया है कि जब्त वस्तुओं को आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6–ए(2) के तहत राजसात करने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगण को नोटिस सम्यक रुप से तामील है। अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से दिनांक 21.06.2010 को अधिवक्ता श्री चिमनाराम पूनिया ने, अप्रार्थी संख्या 3 की ओर से दिनांक 05.07.2022 अधिवक्ता श्री कैलाश दत्त शर्मा ने तथा अप्रार्थी संख्या 4 की ओर से दिनांक 01.11.2022 को अधिवक्ता श्री मनोज जांगिड ने उपस्थिति दी। अप्रार्थी संख्या 3 की ओर से प्रस्तुत जवाब में अंकित किया कि उक्त जब्ती की कार्यवाही अप्रार्थी 3 के यहां से नहीं हुई है। अप्रार्थी संख्या 4 की ओर से प्रस्तुत जवाब में अंकित किया कि उक्त जब्ती की कार्यवाही अप्रार्थी 4 के यहां से नहीं हुई है एवं उक्त अवैध कारोबार से उसका कोई लेना–देना नहीं है। शर्मा गैस सर्विस कम्पनी का एक डीलर है और उक्त डीलर यदि किसी प्रकार का अवैध तथा गैर कानूनी कृत्य करते हैं तो उसके लिये कम्पनी कतई जिम्मेदार नहीं है। तत्पश्चात प्रकरण बहस हेतु नियत किया गया। बहस के दौरान केवल अप्रार्थी संख्या 4 की ओर से बहस की गई। शेष अप्रार्थीगण/अभिभाषकगण अनुपस्थित रहे। प्रार्थी पैरोकार सरकार द्वारा विभागीय प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए जब्त माल को राजसात करने का निवेदन किया। तदुपरान्त पत्रावली दिनांक 28.12.2022 को आदेश हेतु रखी गई।

हम प्रार्थी के प्रार्थना पत्र, दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन व मनन कर इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि दिनांक 23.12.2009 को जब्त सिलेण्डर्स मैसर्स शर्मा गैस सर्विस ने गो गैस कम्पनी के सबडीलर भगोरिया गैस सर्विस से प्राप्त किये थे। मैसर्स भगोरिया गैस सर्विस के प्रस्तुत जवाब में अंकित है कि वह केवल पेट्रोलियम गैस का व्यापार करती है। परन्तु कम्पनी द्वारा छोटे घरेलू सिलेण्डर मैसर्स भगोरिया गैस सर्विस को कनेक्शन जारी करने को दिये हुये हैं जिसके द्वारा सब डीलर्स को आपूर्ति की गयी जिनमें से एक सबडीलर शर्मा गैस सर्विस भी है। मैसर्स भगोरिया गैस सर्विस की ओर से जब्त वस्तुओं से संबंधित बिल बुक, स्टॉक रजिस्टर व अन्य संबंधित दस्तावेज मौके पर तथा आज तक उपलब्ध नही करवाये गये तथा कोई सन्तोषप्रद जवाब भी नहीं दिया गया। किसी अन्य व्यक्ति द्वारा भी जब्त सामग्री के संबंध में कोई क्लेम नहीं किया गया है। मौके से पाये गये सामान से गैस अंतरण की स्वीकारोक्ति से अवैध रुप से गैस अन्तरण कर अवैध विक्रय होने का कार्य किया जाना सिद्ध होता है। अतः अप्रार्थीगण द्वारा एलपीजी (रेग्यूलेशन आफ यूज इन मोटर व्हीकल्स) आदेश 2001, द्रविकृत पैट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश 2000 व आरपीपीएल आदेश 1990 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन किया गया है।

ऐसी स्थिति में फर्द जब्ती से जब्त वस्तुओं के संबंध में सन्तोषप्रद जवाब अथवा कोई वैध दस्तावेज अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत नहीं करने पर प्रार्थी द्वारा फर्द अनुसार जब्त सामान गो गैस के 26 छोटे 4 किग्रा. क्षमता के सिलेण्डर (23 खाली व 3 भरे मय 10.500 किग्रा गैस), 5 नोन आईएसआई मार्का के सिलेण्डर, 1 वाणिज्यिक सिलेण्डर बीपीसी, 2 धातु की बांसुरी को राजसात किया जाता है। जिला रसद अधिकारी जयपुर को निर्देश दिये जाते हैं कि जब्त वस्तुओं का विधिवत निस्तारण कर राशि राजकोष में जमा कराकर पालना रिपोर्ट प्रेषित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल रहे।

निर्णय आज दिनांक 28.12.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Court to the Addl. Collector & Addl. District Magistrate-III • JAIPUR •

(अशोक कुमार शर्मा)
अति. जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय)
जयपुर।